कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email Id:dmusn.1995@gmail.com फोन नं0–05944–242344 / फैक्स–05944–250408

पत्र संख्या 4077 / न्याय सहा0–2(63 / 4) / 2024, दिनांक 02/02/2024

सेवा में,

Deputy Registrar
National Green Tribunal,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi.

विषय– माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 703 / 2023 Suo Moto matter In item appearing in The Hindustan dated 31-10-2023 entitled" ग्रामीणों ने एस0डी0एम0 से कैलाश नदी से अवैध खनन रोकने की मांग की'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के पत्र दिनांक 10.11.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 703 / 2023 Suo Moto matter In item appearing in The Hindustan dated 31-10-2023 entitled" ग्रामीणों ने एस0डी0एम0 से कैलाश नदी से अवैध खनन रोकने की मांग की'' के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित करते हुए आख्या उपलब्ध कराने कि निर्देश दिये गये है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रदत्त आदेश के कम में उपजिलाधिकारी सितारगंज से आख्या प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी सितारगंज द्वारा अपने पत्र सं0 233 / एस0टी0 / 2024 दिनांक 23.01.2024 से आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि ग्राम नकुलिया के ग्रामवासियों द्वारा कैलाश नदी से अवैध खनन किये जाने की शिकायत की गयी थी। जिसके कम में स्थलीय जॉच की गयी। स्थलीय जॉच के दौरान स्थल पर छोटे–छोटे गढढे होना पाया गया, परन्तु स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित न होने एवं भूमि नदी (सरकारी) होने की दशा में अवैध खनन सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया था। इसके उपरान्त भी अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय–समय पर औचक निरीक्षण किया गया था। वर्तमान में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय–समय पर स्थलीय जॉच / छापामारी की कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन पाये जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में बलजिन्दर सिहं,बलविन्दर सिंह, एवं ग्राम प्रधान ग्राम नकुलिया श्रीमती तारावती आदि निवासीगण नकुलिया द्वारा कैलाश नदी से किये जा रहे अवैध खनन की शिकायत के सम्बन्ध में सर्वे नायब तहसीलदार सितारगंज, सर्वे लेखपाल आदि से जॉच कर आख्या प्राप्त की गयी थी, सर्वे नायब तहसीलदार की आख्या दिनॉक 02.11.2023 जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम नकुलिया स्थित नदी पर तत्काल ही स्थलीय जॉच की गयी। तत्समय स्थल पर छोटे–छोटे गढढे होना पाया गया, परन्तु स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित न होने एवं भूमि नदी (सरकारी) होने की दशा में अवैध खनन सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया था। अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय–समय पर भी औचक निरीक्षण किये गये थे। वर्तमान में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय–समय पर स्थलीय जॉच / छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन पाये जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतः उपजिलाधिकारी सितारगंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अशोक कुमार जोशी)
अपर जिलाधिकारी(वि. / रा.)
उधमसिंहनगर।

प्रतिलिपि– श्री आयुष नेगी, स्थाई अधिवक्ता, उत्तराखण्ड़ राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(वि. / रा.)
उधमसिंहनगर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर

Email address: sdmsitarganj@gmail.com

पत्र संख्या 233/एस0टी0/ 2024 दिनॉक 23.01.2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

विषयः– माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 703/2023 Suo Moto matter in item appearing in The Hindustan dated 31-10-2023 entitled" ग्रामीणों ने एस0डी0एम0 से कैलाश नदी से अवैध खनन रोकने की मांग की" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46वी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून के उपनिदेशक खनन भू–तत्व एवं खनि कर्म विभाग उधमसिंह नगर को सम्बोधित पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सात–183–737/2023/1026 दिनांक 17.11.2023 जिसकी एक प्रति आप महोदय को भी उनके द्वारा प्रेषित की गयी है, के कम में सर्वे नायब तहसीलदार सितारगंज से प्राप्त आख्या निम्नवत है:–

पत्र के साथ संलग्न दैनिक अखबार की कटिंग के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ग्राम नकुलिया के ग्रामवासियों द्वारा कैलाश नदी से अवैध खनन किये जाने की शिकायत की गयी थी। जिसके कम में स्थलीय जॉच की गयी। स्थलीय जॉच के दौरान स्थल पर छोटे–छोटे गढढे होना पाया गया, परन्तु स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित न होने एवं भूमि नदी (सरकारी) होने की दशा में अवैध खनन सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया था। इसके उपरान्त भी अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय–समय पर औचक निरीक्षण किया गया था। वर्तमान में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय–समय पर स्थलीय जॉच/छापामारी की कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन पाये जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त पूर्व में बलजिन्दर सिहं,बलविन्दर सिंह, एवं ग्राम प्रधान ग्राम नकुलिया श्रीमती तारावती आदि निवासीगण नकुलिया द्वारा कैलाश नदी से किये जा रहे अवैध खनन की शिकायत के सम्बन्ध में सर्वे नायब तहसीलदार सितारगंज, सर्वे लेखपाल आदि से जॉच कर आख्या प्राप्त की गयी थी, सर्वे नायब तहसीलदार की आख्या दिनॉक 02.11.2023 जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम नकुलिया स्थित नदी पर तत्काल ही स्थलीय जॉच की गयी। तत्समय स्थल पर छोटे–छोटे गढढे होना पाया गया, परन्तु स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित न होने एवं भूमि नदी(सरकारी) होने की दशा में अवैध खनन सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया था। अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय–समय पर भी औचक निरीक्षण किये गये थे। वर्तमान में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय–समय पर स्थलीय जॉच/छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन पाये जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतः सर्वे नायब तहसीलदार सितारगंज की जॉच आख्या मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(तुषार सैनी) 24.1.24

उप जिलाधिकारी सितारगंज।

सर्वे नायब तहसीलदार महोदय,
सितारगंज उधमसिंहनगर।

विषय– माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 703/2023 Suo Moto matter In item appearing in 'The Hindustan dated 31-10-2023 entitled" ग्रामीणो ने एस0 डी0 एम0 से कैलाश नदी से अवैध खनन रोकने की मांग की" के समबन्ध में चाही आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृप्या कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46वी, आई पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सात–183–737/2023/1026 दिनॉक 17.11.2023 जो इस कार्यालय को जरिये व्हाटसएपप दिनॉक 16.01.2024 को प्राप्त है पर जॉच आख्या चाही गयी है,दिये गये निर्देशो के अनुपालन में चाही गयी जॉच आख्या निम्नवत है–

पत्र के साथ संलग्न दैनिक अखबार की कटिंग के समबन्ध में सादर अवगत कराना है कि ग्राम नकुलिया के ग्रामवासियो द्वारा कैलाश नदी से अवैध खनन किये जाने की शिकायत की गयी थी जो ग्रामवासियो द्वारा लिखित रूप में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एवं दूरभाष पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को की गयी थी। जिसपर उपजिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश के अनुपालन में तत्काल ही स्थलीय जॉच की गयी। तत्समय स्थल पर छोटे छोटे गढढे होना पाया गया परन्तु स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित न होने एवं भूमि नदी (सरकारी) होने की दशा में अवैध खनन समबन्धी कोई कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं हो पाया था जिसकी सूचना तत्काल ही दूरभाष पर उच्चाधिकारियो को दे दी गयी थी एवं उच्चाधिकारियो के निर्देश पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय समय पर औचक निरीक्षण किया गया था। वर्तमान में भी उच्चाधिकारियो द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय समय पर स्थलीय जॉच/छापामारी की कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन पाये जाने पर समबन्धितो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

अतः चाही गयी आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

16/01/2024 (अमित कुमार सक्सेना)
सर्वे लेखपाल ग्राम नकुलिया।

16-1-2024 (सन्तोष कुमार श्रीवास्तव)
सर्वे कानूनगो ग्राम नकुलिया।

उपजिलाधिकारी महोदय,
सितारगंज उधमसिंहनगर।

महोदय,

प्रस्तुत प्रकरण में सर्वे लेखपाल/सर्वे कानूनगो की जॉच आख्या सादर अग्रसारित कर अवगत कराना है कि उच्चाधिकारियो द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय समय पर स्थलीय जॉच/छापामारी की कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन पाये जाने पर समबन्धितो के विरूद्ध कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

अतः चाही गयी आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

16/01/2024
(जगमोहन त्रिपाठी)
सर्वे नायब तहसीलदार,
सितारगंज।